अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या:12/ए-चि0निर्देश-2008 दिनांक: 3-9-2008

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय: आयुर्वेद पद्धति से सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद के वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 2010/71-2-08-609/2004 दिनॉक 26-5-2008 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन ने आयुर्वेद पद्धति से सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद के वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति, एलोपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश दिनॉक 9-8-2004 की भाँति किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2- अतएव कृपया शासनादेश दिनॉक 26-5-2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद पद्धति से कराये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

3/9/2008
(शुभ्रा भाष्कर)
पुलिस उपाधीक्षक,मुख्यालय
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक,भ0/क0
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक के सहायक,उ0प्र0, लखनऊ।
2- पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उ0प्र0, लखनऊ।
3- विभाग-13, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्या– 2010/71–2–08–609/2004

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 26 मई, 2008

विषयः– आयुर्वेदिक पद्धति से सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद के वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–332/71–2–2005–609/2004 दिनांक 25–01–2005 तथा पत्र संख्या–332–क(1)/71–2–2005–609/2004 दिनांक 25–01–2005 के माध्यम से यह नीतिगत व्यवस्था की जा चुकी है कि सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों (वर्तमान एवं भूतपूर्व) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार कराने पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति ठीक उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार एलोपैथिक पद्धति से उपचार कराये जाने में व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश दिनांक 27–06–2001, अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 09–08–2004 एवं शासनादेश दिनांक 11–02–2008 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेदिक पद्धति से हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
विशेष सचिव।

संख्या–2010 (1)/71–2–2008– तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 2010/71–2–08–609/2004

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 26 मई, 2008

विषयः– आयुर्वेदिक पद्धति से सेवारत/सेवानिवृत्त संरकारी सेवकों एवं मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद के वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–332/71–2–2005–609/2004 दिनांक 25–01–2005 तथा पत्र संख्या–332–क(1)/71–2–2005–609/2004 दिनांक 25–01–2005 के माध्यम से यह नीतिगत व्यवस्था की जा चुकी है कि सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों (वर्तमान एवं भूतपूर्व) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार कराने पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति ठीक उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार एलोपैथिक पद्धति से उपचार कराये जाने में व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश दिनांक 27–06–2001, अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 09–08–2004 एवं शासनादेश दिनांक 11–02–2008 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेदिक पद्धति से हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
विशेष सचिव।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

संख्या– 2010 (1)/71–2–2008– तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

7. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच/लखनऊ बेंच लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/यूनानी कालेज, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. समस्त जिला/क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।